



केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क तथा सेवा कर आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX  
पी.वी.नं 13, आई.सी.ई.भवन, प्रेस क्लब रोड, तिरुवनंतपुरम 695001  
P.B.No.13, I.C.E.BHAVAN, PRESS CLUB ROAD, THIRUVANANTHAPURAM 695001

सी नं C.No : IV/16/17/2016 C.Ex. Tech

दिनांक Date : 07/06/2016.

परिपत्र सं. 6/2016 कें.उ.शु.- तक  
CIRCULAR NO. 6/2016 CE-Tech

विषय : धारा 73(3) के तहत मामलों को बंद करने के संबंध में  
**Sub:- Closure of cases under Section 73 (3) – Reg. :-**

कृपया फाइल संख्या 137/46/2015 - सेवा कर दिनांक 18/08/2015 का अवलोकन करें, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 73(3) के तहत कार्यवाही की समाप्ति उस अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए जो इस तरह के मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी के पद के हैं। अतः सक्षम प्राधिकारी के अधिनिर्णय शक्तियों के अनुसार, धारा 73(3) के तहत मामलों को बंद करने से संबंधित सभी प्रस्तावों को मुख्यालय के न्यायनिर्णय अनुभाग के माध्यम से करना चाहिए।

Please refer to F.No.137/46/2015-Service Tax dated 18/08/2015 wherein it has been clarified that conclusion of proceedings under Section 73(3) should be approved by an officer equal in rank to the officer who is competent to adjudicate such cases. Therefore all proposals for the closure of cases under Section 73(3) should be routed through Headquarters Adjudication Section as per the adjudication powers of the competent authority.

(एम.श्रीधर रेड्डी M. SREEDHAR REDDY)  
आयुक्त COMMISSIONER

सेवा में / To

- 1 उप/सहायक आयुक्त All Dy./ Asst. Commissioners in the Hqrs.
- 2 सहायक आयुक्त The Asst. Commissioner, S.T.Divn/ Customs Divn.  
/Central Excise Divn, TVM/ Central Excise Divn. Kollam /Airport / Air  
Cargo, TVM
- 3 सभी अनुभाग अध्यक्ष, मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम  
All Section Heads, Hqrs. Office, Trivandrum.